निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 207 / 2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक SMECC, जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स न्यू कासलीवाल ड्रेस्सेस

653, मनिहारों का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर एव

प्रोपराईटर श्रीमती संगीता जैन पत्नी री मनोज जैन

निवासी प्लाट नं. 5, इन्द्रपुरी कालोनी, लालकोठी, जयपुर ।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः—बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश **दिनांक** 3-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 14.12.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में चल सम्पत्ति 653, मनिहारों का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर एवं प्लाट नं. 5, इन्द्रपुरी कालोनी, लालकोठी, जयपुर स्थित दृष्टि बन्धक भण्डार को हाईपोथीकेटेड कर कुल 7,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.11.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं है। प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.11.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि ज़मा नहीं कराई गई है। धारा 13(3)

के नोटिस की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में हाईपोथीकेटैड चल सम्पत्ति 653, मनिहारों का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर एवं प्लाट नं. 8, इन्द्रपुरी कालोनी, लालकोठी, जयपुर स्थित दृष्टि बन्धक भण्डार का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 3.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर